अध्याय-V

वाहन, यात्री एवं माल कर

अध्याय-V

वाहन, यात्री एवं माल कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है। विभाग में एक राज्य परिवहन प्राधिकारी, एक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (विशेष पथकर), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, और पंजीयन व अनुज्ञापन प्राधिकारियों को सम्मिलित किया गया है जो केन्द्रीय और राज्य मोटर वाहन अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विभाग की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं। आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) के प्रशासनिक नियन्त्रण के तहत उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, यात्री व माल कराधान अधिनियम 1955 की प्राप्तियों को विनियमित करते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा योग्य 107 इकाइयों में से वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 322.94 करोड़ की प्राप्ति वाली 44 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 41.02 करोड़ के 257 मामलों में कर का अवनिर्धारण एवं टोकन टैक्स, विशेष पथ कर, पंजीयन फीस, परमिट फीस, राष्ट्रीय परमिट योजना के अंतर्गत समेकित शुल्क एवं शास्ति से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं पाई गई जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

			₹ करोड़ में
क्र. स.	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	**अल्प/अवसूली**		
	• टोकन कर व समेकित शुल्क	116	11.22
	• विशेष पथ कर	27	23.96
	• यात्री व माल कर	11	2.02
2.	**अपवंचन**		
	• टोकन कर	9	0.52
	• यात्री व माल कर	21	1.88
3.	**अन्य अनियमितताएं**		
	• वाहन कर तथा यात्री व माल कर	73	1.42
	योग	**257**	**41.02**

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग ने वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित 192 मामलों में ₹ 36.90 करोड़ के अव-निर्धारणों एवं अन्य कमियों तथा विगत वर्षों के से सम्बंधित सात मामलों में ₹ 91.17 लाख के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया। पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बंधित सात मामलों में ₹ 91.01 लाख की राशि की वसूली की गई।

₹ 34.73 लाख की राशि के एक महत्वपूर्ण प्रकरण की चर्चा नीचे की गई है:

5.3 यात्री एवं माल कर की अवसूली

अवधि 2017-19 के लिए 572 व्यावसायिक वाहनों के मालिकों द्वारा ₹ 34.73 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया एवं न ही विभाग द्वारा मांग की गई।

हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर अधिनियम, 1955 के अंतर्गत, व्यावसायिक वाहन स्वामियों को सभी किराए एवं भाड़े पर निर्धारित दरों पर यात्री एवं माल कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से करना अपेक्षित है। यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में विफल होता है तो उसे न्यूनतम पांच सौ रूपये शास्ति का भुगतान करना होगा। हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर नियम, 1957 आगे निर्दिष्ट करता है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके दौरान वाहन का उपयोग नहीं हो रहा, कर के भुगतान में छूट के लिए सम्बंधित निर्धारण प्राधिकारियों को यथाशीघ्र सूचित करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित शास्ति या बकाया की उक्त अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली की जाएगी।

पांच उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालयों में अनुरक्षित 2377 वाहनों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2017-19 की अवधि के लिए 572[1] व्यावसायिक वाहन मालिकों के द्वारा ₹ 34.73 लाख के यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं किया गया था जो कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 5.2: वाहनों का विवरण जिनसे यात्री एवं माल कर की वसूली नहीं की गई

₹ लाख में

क्र.स.	वाहनों की श्रेणी	यात्री एवं माल कर का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों की संख्या (नमूना जांचित)	वसूली योग्य राशि			
			यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	₹ 500/- प्रति वाहन की दर से न्यूनतम जुर्माना
1.	यात्री वाहन (मैक्सी कैब्स/टैक्सी/ शैक्षणिक संस्थानों की बसें)	217 (732)	13.94	-	13.94	1.08
2.	माल वाहन (भारी वाहन/मध्यम वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रेक्टर)	355 (1,645)	-	20.79	20.79	1.78
योग		**572(2,377)**	**13.94**	**20.79**	**34.73**	**2.86**

[1] चंबा: 132 वाहन: ₹ 9.99 लाख; किन्नौरः 123 वाहनः ₹ 9.33 लाख; कुल्लू: 149 वाहन: ₹ 5.87 लाख; मंडी: 80 वाहन: ₹ 4.95 लाख और नूरपुर: 88 वाहन: ₹ 4.59 लाख।

इन मालिकों ने कर अवधि के दौरान वाहनों का उपयोग न करने पर कर से छूट की भी मांग नहीं की थी। प्राधिकारियों ने मालिकों को मांग-नोटिस जारी नहीं किये तथा न ही भू-राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए मामलों को जिला कलेक्टर को भेजा गया। जबकि लेखापरीक्षा के द्वारा पिछले पांच वर्षों से अनियमितता को इंगित करने के बाद भी उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ने करदाता से एकत्रित कर एवं देय कर को सत्यापित करने के लिए एक प्रभावी तन्त्र विकसित नहीं किया।

यह इंगित करने पर सभी पांच उपायुक्त राज्य एवं आबकारी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2019 तथा नवम्बर 2019 के मध्य) कि यात्री एवं माल कर के भुगतान के लिए बकायादारों को नोटिस जारी किये गये थे। सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2021) कि 128 वाहनों से ₹ 7.28 लाख की वसूली कर ली गई है।

सरकार विभाग को इसके राजस्व की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधान का पालन करने तथा कर निर्धारण के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

शिमला
दिनांक: 26 नवम्बर 2021

(ऋतु ढिल्लों)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 10 दिसम्बर 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक